[illegible] में [illegible] हुई। चूंकि भौमा करना नवीन
ग्राम पंचायत नियमानुसार है सम्बन्धित कोई
[illegible], पंजावली दिनांक 8/6/2016 को कोई
कोई नियमानुसार [illegible] है।

8/6/2016 पंजावली [illegible] हुआ [illegible]
कालूराम 2016 के तहत कोई कोया ग्राम पंचायत नि
मानुसार [illegible] हुई। पंजावली का [illegible]
किया गया। इस [illegible] पंजावली में [illegible]
इस न्यायालय द्वारा [illegible] में प्रकाशन [illegible]
उनवान सोमा बनाम सरकार में दिनांक [illegible]
को जारी की गई डिक्री के अनुसार
[illegible] ग्राम करना की [illegible]
सत्र 2014-2015 के खाता [illegible] एवं नक्शा
[illegible] नियमानुसार [illegible] पटवारी नियमानुसार
द्वारा [illegible] की गई, जिसे संशोधित
पंजावली किया गया।

चूंकि न्यायालय द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन
[illegible] उनवान सोमा बनाम सरकार में
दिनांक 20/5/2014 को जारी डिक्री

P.T.O

विपक्षी

मुकदमा पत्रावली संख्या 1 सन् 2016

| कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|
| की आराजना ग्राम पंचायत की [illegible] में की गयी है तथा [illegible] के खसरा संख्या 1/[illegible] राजस्व भूमि में शामिल भी हो चुकी है, साथ ही गवाही में एक कोई [illegible] भी होने से प्रकाश में कार्यवाही रोकी जाए तथा [illegible] की जाती है। गवाही फैसला [illegible] होकर [illegible] के काम की जाकर [illegible] होना है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर मामले [illegible] कोई [illegible] सुनाया गया। 8/6/16 | |